दिनांक–10.06.2020 को मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 26 वीं बैठक की कार्यवाही

<u>उपस्थितिः</u>– मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग –सह–मिशन निदेशक बि.प्र.सु.मि.सो., प्रधान सचिव वित्त विभाग, सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग–सह– प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन, अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सचिव विधि विभाग, सचिव योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभाग के विशेष सचिव श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि के रूप में बिपार्ड के संयुक्त निदेशक श्री राजेश कुमार उपस्थित रहे ।

<u>कार्यावली बिन्दु :–01</u>

दिनांक–13.12.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (यथा–परिशिष्ट–1) की सम्पुष्टि की गयी।

<u>कार्यावली बिन्दु :–02</u>

दिनांक–13.12.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन (यथा–परिशिष्ट–2) को सम्पुष्ट किया गया ।

<u>कार्यावली बिन्दु :–03</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यय के आकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 का **रू.115,10,44,584.00** (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ चौरासी) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट तैयार किया गया है (परिशिष्ट–3)। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक–1891, दिनांक–22.10.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है।

विगत वित्तीय वर्षो में विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट प्राक्कलन का विवरण निम्नवत है :–

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट प्राक्कलन	प्राप्त सहा. अनु.	अद्यतन व्यय	अवशेष राशि
2018—19	3104— वेतन	691315674.00	470000000.00	470000000.00	0.00
	3106—गैर वेतन	854968700.00	322962080.00	55428012.00	267534068.00
	कुल	1546284374.00	792962080.00	525428012.00	267534068.00
2019—20	3104— वेतन	1217462472.00	909700000.00	909700000.00	0.00
	3106—गैर वेतन	196168700.00	120000000.00	62477088.73	57522911.27
	कुल	1413631172.00	1029700000.00	972177088.73	57522911.27
2020—21	3104— वेतन	999844584.00	165000000.00	159714357.50	5285642.50
	3106—गैर वेतन	151200000.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1151044584.00	165000000.00	159714357.50	5285642.50

* वित्तीय वर्ष 2020—21 के बजट प्राक्कलन की पदवार एवं मदवार विवरणी परिशिष्ट—'03' के रूप में संलग्न है ।

वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए रू. 115,10,44,584.00 (एक सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख चौवालीस हजार पॉच सौ चौरासी) के बजट प्राक्कलन पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु :—04

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2012—13 से 2014—15 के Revised Statutory Audit Report **तथा वित्तीय वर्ष 2015—16 से 2017—18 के** Statutory Audit Report **पर विचारण ।**

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSM) एवं इसके Reforms Support Units (RSUs) का वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 का Statutory Audit Report चार्टर्ड एकाउंटेड RM Associates-CA द्वारा वर्ष 2016 में समर्पित किया गया था जिसे शासी परिषद की 17वीं बैठक में दिनांक—27.07.2016 को पटल किया गया था और लिए गए निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 के Statutory Audit के लिए चयनित CA-Chanakya Ashok & Co. के द्वारा अपने Statutory Audit के दौरान यह प्रतिवेदित किया गया कि उनके पूर्व के ऑडिटर के द्वारा दिनांक—31.03.2015 का प्रतिवेदित Closing Balance जिलों के रोकड़ बही से मेल (match) नहीं कर रहा है जिससे उन आँकड़ों को

Opening Balance के रूप में लेने में कठिनाई हो रही है । इस पर पुराने ऑडिटर RM Associates से पत्राचार किया गया जिसमें उनके द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2012–13 का Opening Balance वित्तीय वर्ष 2011–12 के Closing Balance के आधार पर लिया गया था और वर्ष 2011–12 का ऑडिट रिपोर्ट उपयोगिता के आधार पर था, न कि रोकड़ पंजी के आधार पर । RM Associates-CA द्वारा पुनः जिलों के दस्तावेजों के आधार पर लेखा मिलान एवं सत्यापन का कार्य कर वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 का Revised Statutory Audit Report समर्पित किया गया है और CA-Chanakaya Ashok & Co. के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का Statutory Audit Report समर्पित किया गया है ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की उप–विधि (Bye-laws) की कंडिका–19 के आलोक में BPSM एवं इसके RSUs का वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 (03 वर्ष) के Revised Statutory Audit Report को तथा वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के Statutory Audit Report को शासी परिषद के समक्ष अवलोकन एवं स्वीकार करने हेतु उपस्थापित किया जा रहा है ।

निर्णयः–	**स्वीकृत ।** Audit observations **के आलोक में अनुपालन की कार्रवाई की जाए ।**

<u>कार्यावली बिन्दु :–05</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत आई०टी० प्रबंधक के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु निर्मित पैनल की वैधता अवधि को कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता अवधि के अनुरूप अन्तिम रूप से प्रकाशित पैनल के प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष किये जाने का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–PR.No.-4946(Ni.Ni.) 2017-18, दिनांक–29.07.2017 द्वारा आई०टी० प्रबंधकों के संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आई०टी० प्रबंधक के तैयार किए गए पैनल की वैधता अवधि का निर्धारण नहीं हुआ है ।

विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन स्वीकृत पदों पर नियोजन के लिए कार्यपालक सहायकों के निर्मित पैनलों की वैधता अवधि 03 वर्ष किए जाने का निर्णय बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 17वीं बैठक में लिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन स्वीकृत पदों पर नियोजन के लिए आई.टी. प्रबंधक के निर्मित पैनल की वैधता अवधि पैनल के अन्तिम प्रकाशन की तिथि से 03 वर्ष निर्धारित किये जाने के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	**स्वीकृत। राज्य के अधीन** IT Infrastructure (H/W,S/W,IT **सेवाएं) अथवा सभी e-शासन परियोजनाओं के संचालन/अनुश्रवण हेतु एक दीर्घकालिक प्रशासकीय ढ़ॉचें के संबंध में भी सूचना प्रावैधिकी विभाग/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी** अगली बैठक के पूर्व प्रस्ताव गठित करे ।

कार्यावली बिन्दु :–06

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक वर्ग–1 का आई०टी० प्रबंधक वर्ग–2 में उत्क्रमण के प्रस्ताव का अनुमोदन।

दिनांक–20.09.2019 को आयोजित शासी परिषद की 24वीं बैठक के कार्यावली बिंदु–04 के रूप में शासी परिषद के अनुमोदन के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था कि वैसे आई0टी0 प्रबंधक जिनके मानदेय का निर्धारण 01.07.2018 को आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–1 में किया गया है, उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उनको आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित मानदेय चुनने का विकल्प दिया जाए । शासी परिषद का यह निर्णय हुआ कि **वर्ग–2 में उत्क्रमण का लाभ प्राप्त कर गए आई०टी० प्रबंधकों में दिनांक–01.07.2018 को सेवा अवधि की गणना के आधार पर न्यूनतम कितने कार्यकाल वाले आई०टी० प्रबंधक को वर्ग–2 में उत्क्रमण का लाभ प्राप्त हुआ है, के आलोक में समीक्षोपरान्त अगली बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाए।**

शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के आलोक में की गयी समीक्षा में यह पाया गया है कि आई०टी० प्रबंधक वर्ग–2 में उत्क्रमण का लाभ प्राप्त कर गए आई०टी० प्रबंधकों में दिनांक–01.07.2018 को सेवा अवधि की गणना के आधार पर न्यूनतम अवधि में आई०टी०

प्रबंधक वर्ग–2 के मानदेय का लाभ प्राप्त करने वाले श्री आदर्श गौरव, आई०टी० प्रबंधक, पूर्णिया हैं जिनका नियोजन आदेश संख्या–634, दिनांक–04.06.2013 है। इनके द्वारा 05 वर्ष 27 दिन की कार्य अवधि में यह लाभ प्राप्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था से आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–1 में जिनके मानदेय का निर्धारण हुआ है उसमें कतिपय ऐसे कर्मी हैं जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल कुछ दिनों/महिनों अथवा 1 से 2 वर्ष में ही पूरा हो जाता परंतु आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–2 के मूल मानदेय का स्तर (रूपये 32,077.00) प्राप्त करने के लिये उनको 3 वर्ष अथवा अधिक अवधि का इंतजार करना होगा जिससे उन्हें वित्तीय क्षति होगी ।

उपर्युक्त पूर्व के प्रस्ताव के आलोक में आई0टी0 प्रबंधक वर्ग–1 के आई.टी. प्रबंधकों को उनके द्वारा नियोजन के उपरांत 5 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर उनको अगले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को आई.टी. प्रबंधक वर्ग–2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित वर्ग का मानदेय चुनने के विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	**स्वीकृत।**

कार्यावली बिन्दु :–07

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित आई०टी० सहायक जिनके द्वारा 01.07.2018 को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, हेतु आई0टी0 सहायक वर्ग–2 के रूप में अलग वर्ग तथा विशेष भत्ता के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन ।

दिनांक–20.09.2019 को आयोजित शासी परिषद की 24वीं बैठक के कार्यावली बिंदु–05 के रूप में शासी परिषद के अनुमोदन के लिए वैसे आई0टी0 सहायक जिनके द्वारा 01.07.2018 को सफल तरीके से 05 वर्ष या अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया गया है, के लिए आई.टी. सहायक वर्ग–2 के रूप में अलग वर्ग तथा 3,000.00 रूपए मासिक विशेष भत्ता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था । शासी परिषद का यह निर्णय हुआ कि **बेल्ट्रॉन के माध्यम से समकक्ष योग्यता के नियोजित किए जाने वाले कर्मियों के मानदेय संरचना से इसकी समीक्षा कर अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाए।**

इस क्रम में मांगी गयी जानकारी पर सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग में आई०टी० सहायक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई०टी० अथवा कम्प्यूटर क्षेत्र में स्नातक (B.C.A./B.Sc.(I.T./Computer) के समकक्ष योग्यता वाले कोई भी पद नहीं हैं।

दिनांक–10.10.2018 एवं दिनांक–15.02.2019 को आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक वर्ग–2 के कार्यपालक सहायकों को रू 2800.00 (दो हजार आठ सौ रूपया मात्र) का प्रतिमाह विशेष भत्ता का प्रावधान किया गया है। आई०टी० सहायक का भी कार्य क्षेत्र कार्यपालक सहायक के समान प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला जैसे कार्यालयों में है।

आई०टी० सहायकों की सदृश कार्य प्रकृति के दृष्टिगत कार्यपालक सहायक वर्ग–2 की भांति दिनांक–01.07.2018 को सफल तरीके से 05 वर्ष अथवा 05 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लेने वाले उन आई०टी० सहायक का अलग वर्ग आई0टी0 सहायक वर्ग–2 का स्तर निम्नवत निर्धारित करते हुए विशेष भत्ता (3000/– रूपये प्रति माह) का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव हैः–

आई0टी0 सहायक वर्ग–2		
क्रम सं0	विवरण	दर (रू. में)
1	मूल मानदेय	13000.00
2	अन्य भत्ता	8580.00
3	विशेष भत्ता	3000.00
4	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 13 प्रतिशत) EPS(8.33%) = 1083 EPF(12%-8.33%=3.67%) =477 EDLI(.5%) =65 EPF-Administration(.5%) =65 EDLI-Administration(0%) =0 Total =1690	1690.00
5	Cost to BPSM (1+2+3+4)	26270.00
6	ई0पीएफ अंशदान कर्मी– (अधिकतम मूल मानदेय 15000/–रूपये तक का 12 प्रतिशत)	1560.00
7	टेक होम मानदेय (1+2+3)–6	23020.00

यह गणना प्रत्येक वर्ष के 01ली जनवरी एवं 01ली जुलाई को की जाएगी तथा उक्त तिथि को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक पूरा करने वाले को इस वर्ग में शामिल किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः—	**शासी परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाए ।**

<u>कार्यावली बिन्दु :—08</u>

शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार आवश्यकतानुसार 31 दिसम्बर, 2020 तक किये जाने पर शासी परिषद का अनुमोदन।

शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यपालक के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसमें यह निर्णित है कि उक्त नियोजन मात्र तीन माह के लिए होगा और इस अवधि में इन नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा (जो बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा। उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन माह के उपरांत जारी रखा जा सकेगा परन्तु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

कोविड—19 के संकमण तथा उक्त कम में लॉकडाउन आदि के कारण इस अवधि में दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है। अंतरिम व्यवस्था के तहत तीन माह के लिये नियोजित कार्यपालक सहायक के कार्य अवधि का तीन माह से अधिक अवधि पुरा हो जाने तथा दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के आलोक में अवधि विस्तार/दक्षता परीक्षा आयोजन के संबंध में कतिपय जिलों के द्वारा निदेश की मांग की गयी है।

उपरोक्त वर्णित के क्रम में शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की

सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में नियोजित कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि का विस्तार 31 दिसम्बर, 2020 तक किये जाने पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है। शेष शर्त यथावत रहेगें अर्थात अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित किये गये कार्यपालक सहायकों के नियोजन की अवधि अधिकतम 31 दिसमबर, 2020 तक होगी। इस अवधि में इन नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा (जो बेल्ट्रान के डाटा इंट्री आपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा, उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार 31 दिसम्बर, 2020 के उपरांत जारी रखा जा सकेगा परन्तु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

निर्णयः–	इस बंधेज के साथ स्वीकृत कि यदि बेल्ट्रॉन द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक–31.12.2020 से पहले कर उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण रहने पर ही नियोजन अवधि का आगे विस्तार हो सकेगा, अन्यथा नहीं । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इस दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए अभ्यर्थियों (अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायक) का पूर्ण विवरण बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराएगा ।

<u>कार्यावली बिन्दु :–09</u>

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से अंतरिम व्यवस्था के रूप में विभागों/जिलों के कार्यालयों को कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने तथा इन कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा बेल्ट्रॉन द्वारा लिए जाने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 1000/– का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय द्वारा किये जाने के शासी परिषद की 25वीं बैठक में लिये गये निर्णय का बेल्ट्रॉन से प्राप्त अनुरोध के आलोक में शुल्क भुगतान के बिन्दु पर पुनर्विचार।

शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यपालक के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से विभागों/जिलों के कार्यालयों को उनकी अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएँ सशर्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिसमें यह निर्णित है कि उक्त नियोजन मात्र तीन

माह के लिए होगा और इस अवधि में इन नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा (जो बेल्ट्रॉन के डाटा इंट्री ऑपरेटर (DEO) हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप होगा) को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा। उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन माह के उपरांत जारी रखा जा सकेगा परन्तु अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
इन नियोजित कार्यपालक सहायकों के ऑनलाईन निबंधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारियों द्वारा किये जाने तथा बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित शुल्क (रूपये 1000/–) का भुगतान नियोजन के विभाग/कार्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (यथा स्थिति) द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था के तहत जिलों के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों की अधियाचना के आलोक में जिला स्तरीय कार्यपालक सहायक के पैनलों से नियोजन/सेवा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। बेल्ट्रॉन द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रारंभिक तैयारियाँ के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से इस संबंध में कार्यादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि कार्यपालक सहायक के जिला स्तरीय पैनल से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों से इतर भी अलग–अलग विभागों/कार्यालयों की अधियाचना के आलोक में नियोजन हेतु अभ्यर्थी संबंधित विभागों/कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके नियोजन तथा मानदेय भुगतान आदि के सभी कार्य संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किये जाते हैं। इसी को दृष्टिपथ में रखकर शासी परिषद् द्वारा अलग अलग विभागों/कार्यालयों द्वारा कार्यादेश निर्गत किये जाने तथा संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा शुल्क के भुगतान का निर्णय लिया गया था परन्तु बेल्ट्रॉन द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से समेकित कार्यादेश की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त बिंदुओं तथा बेल्ट्रॉन के अनुरोध के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायक के पैनल से अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में नियोजित किये जा रहे कार्यपालक सहायकों के नियोजन के 03 माह के भीतर बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के अंतर्गत परीक्षा शुल्क रूपये 1000/– का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन

सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र के आधार पर सहायक अनुदान गैर वेतन मद से किये जाने का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु :–10

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कॉल सेंटर का 03 वर्षो के लिए संचालन एवं इसके लिए बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी राशि रू 74,88,517.00 का घटनोत्तर अनुमोदन ।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में यह वर्णित है कि कॉल सेंटर के माध्यम से भी परिवाद प्राप्त किए जायेंगे । इस आलोक में शासी परिषद की 18वीं बैठक दिनांक–27.06.2016 के कार्यावली बिन्दु संख्या 18 के रूप में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से कॉल सेंटर की स्थापना एवं 03 वर्षो तक रख रखाव के लिए रू 94,77,236.00 (चौरानबे लाख सतहतर हजार दो सौ छतीस रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । यह अवधि वर्ष 2019 में समाप्त हो गयी ।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दायर करने तथा तत्संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने के एक सुगम विकल्प के रूप में कॉल सेंटर के आगे भी संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत इसके संचालन तथा 03 वर्षो तक रख रखाव के लिए बेल्ट्रॉन को उनकी अधियाचना के आधार पर रू 74,88,517.00 (चौहतर लाख अठासी हजार पॉच सौ सत्रह) उपलब्ध करायी गई है ।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कॉल सेंटर का 03 वर्षो के लिए संचालन एवं इसके लिए बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी राशि रू 74,88,517.00 पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णयः–	स्वीकृत।

कार्यावली बिन्दु :—11

आर.टी.पी.एस. Software के संचालन के लिए BPSM में अधिष्ठापित सर्वर हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से BSNL से ली गयी Internet Lease Line का वर्ष 2013—14 से वर्ष 2020—21 तक के विपत्र के भुगतान के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा अधियाचित राशि रू 49,22,249.00 (उनचास लाख बाईस हजार दो सौ उनचास) के व्यय का अनुमोदन।

बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत सर्वर के माध्यम से Software के संचालन के लिए ली गयी Internet Lease Line का BSNL से प्राप्त वर्ष 2013—14 से वर्ष 2020—21 तक बेल्ट्रॉन के द्वारा विपत्र भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराई गयी है। वर्ष 2011 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अनुरोध पर सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा NeGP योजना के तहत Internet Lease Line की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। 2013 के पूर्व Internet Lease Line के विपत्रों का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर बेल्ट्रॉन द्वारा किया गया था।

वर्ष 2013 के पश्चात BSNL द्वारा कोई भी विपत्र भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

BSNL से Internet Lease line के विपत्र के भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किए जाने हेतु इस कार्यालय के द्वारा ईमेल के माध्यम से Manager (PMU),Technical Cell, Beltron, Patna को अनुरोध किया गया। तदालोक में प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन के पत्रांक—6440/19 दिनांक—25.10.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि विभाग में प्रयुक्त Lease line की क्षमता 8Mbps से उत्क्रमित कर 32 Mbps करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार के पत्रांक—I.T-140/08-323 Patna, dt 11.03.2013 द्वारा 8Mbps से उत्क्रमित कर 16 Mbps करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया था एवं उक्त राशि को BSWAN के ई0—शासन राज्य योजना अन्तर्गत राशि से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। BSWAN परियोजना जो NeGP के तहत अधिष्ठापित थी, वर्ष 2013 उपरान्त समाप्त हो गयी है। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा उक्त मद में अलग से कोई राशि नहीं दी जा रही है।

पुनश्च बेल्ट्रॉन के पत्रांक—1731/2020 दिनांक—24.02.2020 के द्वारा BSNL से प्राप्त Outstanding Dues (वर्ष 2013—14 से 2020—21 तक का) रू 45,46,922.00 में बेल्ट्रॉन मार्जिन 7% एवं Beltron Margin पर 18% GST जोड़कर कुल राशि रू 49,22,249.00 (उन्चास लाख बाईस हजार दो सौ उनचास) बेल्ट्रॉन, पटना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

आर.टी.पी.एस. Software के संचालन के लिए BPSM में अधिष्ठापित सर्वर हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से BSNL से ली गयी Internet Lease Line का वर्ष 2013–14 से वर्ष 2020–21 तक के विपत्र के भुगतान के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा अधियाचित राशि रू 49,22,249.00 (उनचास लाख बाईस हजार दो सौ उनचास) के व्यय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–	स्वीकृत।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(राजेश कुमार)	(राजेश्वर प्रसाद सिंह)	(मदन किशोर कौशिक)
संयुक्त निदेशक	विशेष सचिव	सचिव, विधि विभाग
महानिदेशक बिपार्ड के प्रतिनिधि	सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि	

ह0/–	ह0/–
(डॉ.प्रतिमा)	(राहुल सिंह)
अपर मिशन निदेशक,	सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	–सह– प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(डॉ. एस. सिद्धार्थ)	(आमिर सुबहानी)	(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग	मिशन निदेशक–सह–अपर मुख्य सचिव, सा. प्र. विभाग	मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांकः– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–10/2019 सो0–998 दिनांक–17/06/2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार/ सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ सचिव, विधि विभाग, बिहार/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/2020

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांकः– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–10/2019 सो0–998 दिनांक–17/06/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/2020

अपर मिशन निदेशक